

टोल फ्री हेल्पलाइन **1516 (24X7)** या **15100**

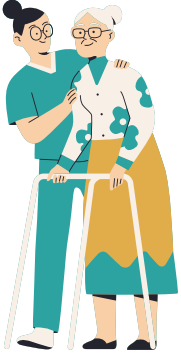
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण
अधिनियम, 2007 के लाभ

भरण-पोषण क्या है?

यह वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बच्चों, पोता-पोती या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को संदर्भित करता है।

जरूरी आवश्यकताएँ

भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ, ताकि उनकी गरिमा और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा मिले।



भरण-पोषण दायित्व

जो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं, उनके बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

कौन आवेदन कर सकता है

वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) और माता-पिता (दत्तक माता-पिता सहित)।

किसके विरुद्ध

बच्चों (जैविक या दत्तक), पोता-पोती या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण का दावा किया जा सकता है, यदि वे पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रहते हैं।

कानूनी सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

वरिष्ठ नागरिक डीएसएलएसए (DSLISA) वेबसाइट पर या फ्रंट ऑफिस (निकटतम डीएसएलएसए में) पर जाकर आवश्यक आवेदन पत्र भरकर और प्रासंगिक दस्तावेज (पहचान प्रमाण, आय प्रमाण पत्र आदि) जमा करके कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।



कानूनी उपाय

वरिष्ठ नागरिक बच्चों या रिश्तेदारों के विरुद्ध उपेक्षा या भरण-पोषण प्रदान करने में विफलता के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भरण-पोषण न्यायाधिकरण के पास अनुपालन सुनिश्चित करने और उपचार प्रदान करने का अधिकार है।

राहत

वित्तीय भरण-पोषण

संपत्ति या परिसंपत्तियों से संबंधित
अस्वीकृत अधिकारों की बहाली।

तत्काल सहायता



हमारे संपर्क बिन्दु



dslsa.org

You Tube DSLISA



/dslsa



lae-dslsa@gov.in



dslsa_delhi



@dslsa_delhi



अपने निकटतम डीएसएलएसए
के लिए स्कैन करें



दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण



तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर,
पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता के लिए निम्नलिखित कार्यालयों से संपर्क करें

- केंद्रीय जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 287, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं० 23933231, 9667992791 | ई-मेल. central-dlsa@nic.in
- पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 295, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं० 23968052, 9667992792 | ई-मेल. west-dlsa@nic.in
- नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
भूतल, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली
फोन नं० 23072418, 9971154002 | ई-मेल. newdelhi-dlsa@nic.in
- पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 36, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन नं० 22101336, 9667992793 | ई-मेल. east-dlsa@nic.in
- उत्तर - पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 35, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन नं० 22101335, 9667992794 | ई-मेल. northeast-dlsa@nic.in
- शाहदरा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 35 -A, भूतल, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
फोन नं० 22101456, 9667992795 | ई-मेल. shahdara-dlsa@nic.in
- उत्तर-पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं० 27555536, 9667992798 | ई-मेल. northwest-dlsa@nic.in
- उत्तरी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 405, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
फोन नं० 27557310, 9667992797 | ई-मेल. north-dlsa@nic.in
- दक्षिण - पश्चिम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
कमरा नं० 5A, एडमिन. ब्लॉक, भूतल, द्वारका न्यायालय, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली
फोन नं० 28041480, 9667992801 | ई-मेल. southwest-dlsa@nic.in
- दक्षिणी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
भूतल, उपयोगिता खण्ड, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली
फोन नं० 29562440, 9667992799 | ई-मेल. south-dlsa@nic.in
- दक्षिण - पूर्वी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
भूतल, उपयोगिता खण्ड, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली
फोन नं० 29561040, 9667992800 | ई-मेल. southeast-dlsa@nic.in
- केंद्रीय-II जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण**
फ्रंट ऑफिस, भूतल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर
पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली
फोन नं० 20832847, 9810420894 | ई-मेल. rouseavenue-dlsa@delhi.gov.in